न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील: 13/2024

दायर दिनांक: 01.03.2024

निर्णय दिनांक 19.05.2026

—: अनवान :—

रणजीतसिंह पिता नवलसिंह जी जाति रावत उम्र 41 वर्ष निवासी कालागुमान तहसील भीम जिला राजसमंद, राजस्थान

— अपीलार्थी

—: बनाम :—

1. तहसीलदार साहब (भू.अ.) भीम तहसील भीम जिला राजसमंद
2. पटवार हल्का कालागुमान तहसील भीम जिला राजसमंद
3. भू—अभिलेख निरीक्षक बग्गड/दिवेर तहसील भीम जिला राजसमंद
4. धापू पत्नी भेरूसिंह जी जाति रावत उम्र वयस्क
5. नारायणी पुत्री भेरूसिंह जी जाति रावत उम्र वयस्क
6. मोहनी पुत्री भेरूसिंह जी जाति रावत उम्र वयस्क
7. लक्ष्मी पुत्री भेरूसिंह जी जाति रावत उम्र वयस्क
8. सायरी पत्नी नवलसिंह जी जाति रावत उम्र वयस्क
9. हीरासिंह पुत्र नवलसिंह जी जाति रावत उम्र वयस्क

सभी निवासीयान कालागुमान तहसील भीम जिला राजसमंद

— रेस्पोडेण्टगण

<u>प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कालागुमान तहसील भीम जिला राजसमंद नामान्तरकरण संख्या 1137 निर्णय दिनांक 16.05.2018 से अप्रसन्न होकर</u>

उपस्थितः—

1. श्री रतनलाल रावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 04 से 09 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध तहसीलदार, भीम द्वारा पारित नामान्तरकण संख्या 1137 दिनांक 16.05.2018 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम कालागुमान पटवार हल्का कालागुमान भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दिवेर/बग्गड तहसील भीम जिला राजसमंद मे निम्न कृषि भूमियां स्थित है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है – खाता संख्या नया 294 व पुराना 289 क्रमशः आराजी नम्बर 1278, रकबा 0.0364, आराजी नम्बर 1343, रकबा 0.1276, आराजी नम्बर 1343/3705, रकबा 0.0728, आराजी नम्बर 1344, रकबा 0.0061, आराजी नम्बर 1345, रकबा 0.0061, आराजी नम्बर 1346, रकबा 0.0405, आराजी नम्बर 3246, रकबा 0.0324, आराजी नम्बर 3307, रकबा 0.0728, आराजी नम्बर 904, रकबा 0.0809, आराजी नम्बर 904/3704, रकबा 0.0769, आराजी नम्बर 946, रकबा 0.0971, आराजी नम्बर 948, रकबा 0.0324, आराजी नम्बर 949, रकबा 0.0243, आराजी नम्बर 962, रकबा 0.1538, कुल किता 14 रकबा 0.8701 हेक्टर। उक्त कृषि भूमियां पूर्व खातेदार प्रेमाबाई पत्नी नारायणसिंह के नाम पर दर्ज थी, प्रेमाबाई की मृत्यु दिनांक 05.10.2010 को हो गई थी लेकिन खातेदार प्रेमाबाई ने अपने जीवनकाल मे दिनांक 11.12.2004 को गोदनामा स्टाम्प तादादी 100/– एक सौ रूपये पर अपीलान्ट के नाम पर निष्पादित कर दो अनुप्रमाणिक साक्ष्य खुमसिंह, नन्दासिंह व भेरूसिंह की उपस्थित मे अनुप्रमाणित कराया। मृतक प्रेमाबाई ने गोदनामे के जरिये ग्राम कालागुमान में स्थित प्रेमाबाई के नाम पर समस्त चल–अचल सम्पति बतौर पुत्र के रूप मे अपीलान्ट के नाम पर जरियें गोदनामा अन्तरीत कर दी एवं मृतका प्रेमाबाई ने अपने गोदनामे में यह भी अंकन किया कि नवलसिंह एवं प्रेमाबाई ने अपीलान्ट को गोद पुत्र के रूप में गोद पुत्र माना। अपीलान्ट की गोदनामा प्रेमाबाई के कोई पुत्र–पुत्री उत्पन्न नही हुए, काफी ईलाज कराया, मेडिकल जांच कराई किन्तु डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम्हारे कोई संतान नही होगी, जिससे प्रेमाबाई ने अपने पति नारायणसिंह से अपना वंश चलाने के लिए एवं अपनी सेवा चाकरी करने के लिए गोद पुत्र लेने की इच्छा जाहिर की जिस पर अपीलान्ट के पिता नवलसिंह से अपीलान्ट रणजीतसिंह को गोद लेने हेतु कहा गया, जिस पर रणजीतसिंह की माता भी सहमत हुई एवं दोनो परिवारो की सहमति से अपीलान्ट को मृतका प्रेमाबाई के गोद पुत्र रखा। मृतका ने अपने गोदनामे मे यह भी लिखा है कि वह गोदनामे को पंजीकृत कराना चाहते थे किन्तु इस दौरान गोदनामे से 15 वर्ष पहले प्रेमाबाई के पति की मृत्यु हो गई थी, जिससे गोदनामा पंजीकृत नही करवा पाये। इसलिए दिनांक 11.012.2004 को 100/– रूपये के स्टाम्प पर प्रेमाबाई ने अपीलान्ट रणजीतसिंह के पक्ष मे उक्त गोदनामा लिखाया ओर यह भी लिखाया कि अपीलान्ट मृतका प्रेमीबाई के गोदपुत्र के रूप में निवास करता आया। रणजीतसिंह ने ही मृतका प्रेमाबाई की सेवा चाकरी की है जिससे मृतका प्रेमाबाई संतुष्ट थी ओर उसने अपीलान्ट रणजीतसिंह को सामाजिक रिति रिवाज सम्पन्न कर गोद में बिठा कर गुड बाट का, ढोल बजा कर रणजीतसिंह को गोद पुत्र स्वीकार किया एवं लोग, परिवार तथा समाज के सामने रणजीतसिंह को ही लेहरीया बंधा कर पुत्र के

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

रूप मे स्वीकार किया। उक्त सारी गोदनामे की रस्म अदा कर रणजीतसिंह को पुत्र के रूप में स्वीकार किया जिसमे रणजीतसिंह के प्राकृतिक पिता भी सहमत थे एवं उक्त गोदनामा के जरिये अपीलान्ट को मृतका प्रेमाबाई की गांव कालागुमान में स्थित समस्त चल अचल सम्पति कृषि भूमि या घर गवाडी के सारे अधिकार गोद पुत्र की हैसियत से अपीलान्ट को दिये गये लेकिन मृतका प्रेमाबाई की मृत्यु के बाद खुलने वाले नामान्तरकरण संख्या 1137 दिनांक 16.05.2018 जो कि राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 मे अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टस संख्या 1, 2, 3 के समक्ष उक्त गोदनामा पेश किया लेकिन रेस्पोडेन्ट्स ने विधि के विरूद्ध कृत्य करते हुए गोद नामा के जरिये नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम पर नही खोल कर विरासत के आधार पर रेस्पोडेन्ट् संख्या 4 से लगायत 9 तक के नाम पर खोलने में भारी भूल कारित की है। उक्त कृषि भूमियो पर वादी प्रेमाबाई के जीवनकाल मे काबिज था एवं वर्तमान मे भी काबिज है, कृषि भूमियो का उपयोग उपभोग रहा है, लेकिन विवादित नामान्तरकरण के जरिये भूमिया रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 9 तक के नाम पर गलत दर्ज हो जाने से रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से लगायत 9 अपीलान्ट की कब्जे की भूमियो पर बाधा, रूकावट, दखलन्दाजी पैदा कर रहे है, यहा तक कि आगे अन्तरण करने पर भी आमादा है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर विवादित आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कालागुमान तहसील भीम जिला राजसमंद नामान्तरकरण संख्या 1137 निर्णय दिनांक 16.05.2018 को अपास्त किया जावे।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 03 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 9 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार करते हुए धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा ग्राम कालागुमान पटवार हल्का कालागुमान की कृषि भूमियां कुल किता 14 रकबा 0.8701 हेक्टर हैं। उक्त कृषि भूमियां पूर्व खातेदार प्रेमाबाई पत्नी नारायणसिंह के नाम पर दर्ज थी, प्रेमाबाई की मृत्यु दिनांक 05.10.2010 को हो गई थी लेकिन खातेदार प्रेमाबाई ने अपने जीवनकाल मे दिनांक 11.12.2004 को गोदनामा स्टाम्प तादादी 100/– एक सौ रूपये पर अपीलान्ट के नाम पर निष्पादित कर दो अनुप्रमाणिक साक्ष्य खुमसिंह, नन्दासिंह व भेरूसिंह की उपस्थित मे अनुप्रमाणित कराया। मृतक प्रेमाबाई ने गोदनामे के जरिये ग्राम कालागुमान में स्थित प्रेमाबाई के नाम पर समस्त चल–अचल सम्पति बतौर पुत्र के

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

रूप मे अपीलान्ट के नाम पर जरियें गोदनामा अन्तरीत कर दी एवं मृतका प्रेमाबाई ने अपने गोदनामे में यह भी अंकन किया कि नवलसिंह एवं प्रेमाबाई ने अपीलान्ट को गोद पुत्र के रूप में गोद पुत्र माना। लेकिन मृतका प्रेमाबाई की मृत्यु के बाद खुलने वाले नामान्तरकरण संख्या 1137 दिनांक 16.05.2018 जो कि राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 मे अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टस संख्या 1, 2, 3 के समक्ष उक्त गोदनामा पेश किया लेकिन रेस्पोडेन्ट्स ने विधि के विरूद्ध कृत्य करते हुए गोद नामा के जरिये नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम पर नही खोल कर विरासत के आधार पर रेस्पोडेन्ट् संख्या 4 से लगायत 9 तक के नाम पर खोलने में भारी भूल कारित की है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर विवादित आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कालागुमान तहसील भीम जिला राजसमंद नामान्तरकरण संख्या 1137 निर्णय दिनांक 16.05.2018 को अपास्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भीम द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। तहसीलदार भीम द्वारा नामान्तकरण में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित नामांतरकरण संख्या 1137 दिनांक 16.05. 2018 द्वारा श्रीमती प्रेमा बाई पत्नी श्री नारायण सिंह की मृत्यु होने पर उसके नाम अंकित कृषि भूमि उसके पति श्री नारायण सिंह के भाई श्री नवल सिंह के तथा श्री भैरू सिंह के उत्तराधिकारियों के नाम पर दर्ज की गई क्योंकि मृतका श्रीमती प्रेमा बाई के कोई भी पुत्र अथवा पुत्री नहीं थे। यहाँ पर अपीलांट श्री रणजीत सिंह जो कि मृतका प्रेमा बाई के पति के भाई श्री नवल सिंह का बेटा है, ने स्वयं को श्रीमती प्रेमा बाई का दत्तक गोद पुत्र बताते हुए संपूर्ण भूमि अपने नाम किए जाने की मांग नामांतरकरण के द्वारा की है तथा खोले गए विवादित नामांतरकरण को विधिक रूप से गलत बताया है। उनके द्वारा एक गोदनामा प्रस्तुत किया गया जो कि दिनांक 11.12.2004 को निष्पादित किया गया है, जो रूपये 100 के स्टांप पर है तथा पंजीकृत नहीं है। सर्वप्रथम हम गोदनामे के पंजीकृत नहीं होने से इस प्रकरण पर होने वाले प्रभाव की कानूनी व्याख्या किया जाना उचित समझते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 में अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य दस्तावेजों की सूची दी गई है, जिसमें एडॉप्शन डीड (गोदनामा) सम्मिलित नहीं है। अर्थात किसी गोदनामे के पंजीकरण नहीं कराए जाने पर उसकी वैधानिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यदि अन्यथा वह गोदनामे के लिए आवश्यक तत्वों की पूर्ति करता हो। यह गोदनामा श्रीमती प्रेमा देवी द्वारा, प्रेमा देवी द्वारा निष्पादित किया गया है जिसमें गोद देने वाले श्री नवल सिंह हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम 1956 की धारा 9 के अनुसार किसी बालक के माता या पिता द्वारा अपने पुत्र अथवा पुत्री को गोद दिया जा सकता है, परन्तु यदि पिता गोद देता है तो उसकी माता की सहमति होना आवश्यक है और यदि माता गोद देती है तो उसके पिता की सहमति

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

होना आवश्यक है। यहाँ पर प्रस्तुत किए गए गोदनामे में श्रीमती प्रेमा बाई ने यह लिखा है कि श्री नवल सिंह की पत्नी भी गोद देने को सहमत हो गई है, परन्तु कहीं भी गोदनामे पर गोद देने वाले श्री नवल सिंह की पत्नी के सहमति स्वरूप कोई भी हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। अतः यहाँ दस्तावेजों से यह साबित नहीं हुआ है कि गोद दिए जाने के लिए श्री नवल सिंह की पत्नी की सहमति प्राप्त की गई हो। हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम 1956 की धारा 10 के अनुसार जिस भी बालक को गोद दिया जाता है, उसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ अपीलांट स्वयं को वर्ष 2024 में 41 वर्ष का बता रहा है तथा यह गोदनामा वर्ष 2004 में निष्पादित किया गया है, अर्थात 20 वर्ष पूर्व यह गोदनामा निष्पादित किया गया। तो इससे स्पष्ट रूप से जाहिर है कि अपीलांट श्री रणजीत सिंह की उम्र गोदनामे के निष्पादन के समय 21 वर्ष थी। अर्थात दस्तावेजों से यह जाहिर हो गया कि गोद जाने वाले बालक की आयु 15 वर्ष से कम नहीं थी। इस गोदनामे में मात्र यह कथन किया गया है प्रेमा बाई द्वारा कि हमने इसको 15 वर्ष पहले ही गोद ले लिया था परन्तु उसकी रजिस्ट्री नहीं करा पाए। तो यहाँ पर इस तरह का पत्रावली में कोई गोदनामा भी प्रस्तुत नहीं हुआ जो कि पंजीकृत हो अथवा नहीं हो और जो 15 वर्ष पूर्व का हो। तो अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में किए गए मात्र कथन के आधार पर तथ्य को सिद्ध मानकर कोई विधिक निर्णय कर दिया जाना मैं उचित नहीं समझता हूँ।

अतः इस प्रकरण में जो गोदनामा प्रस्तुत किया गया है, वह हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार गोदनामे के लिए जो विधिक आवश्यकताएँ हैं, उसे पूर्ण नहीं करता है। अतः उसके आधार पर भूमियों के स्वामित्व अथवा राजस्व रिकॉर्ड के इन्द्राज का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो विवादित नामांतरकरण स्वीकृत किया गया है, मैं उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाता हूँ। अतः अपील निरस्त की जाती है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 19.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद